## OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT \& SESSIONS JUDGE (HQs): DELHI

## PUBLIC NOTICE

Sealed quotations are invited from interested parties/contractors to offer their rates towards the purchase of waste paper, old newspapers, magazine, raddi etc. from Tis Hazari Court Complex, Delhi. Guotations in sealed envelope should be put in latest by 03.00 p.m. on 17.02 .2024 in the sealed box placed in the Care Taking Branch, Room No. 305. Third Floor, Tis Hazari Courts, Delhi quoting per kg. rate towards purchase of waste paper, newspapers, magazine, raddi etc. as mentioned above.

The applicants would be required to attach a Demand Draft/Pay Order of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) (refundable) in favour of "Principal District $\mathcal{\&}$ Sessions Judge (HGs), Delhi" alongwith their quotation and in absence thereof, the quotation shall not be considered. The demand draft/Pay Order will be returned back to unsuccessful applicants immediately and to the successful applicant, after depositing the security amount. The contract shall be awarded for two years starting from the day of execution of agreement.

In this regard, terms \& conditions and any other information can be obtained from Care Taking Branch, Room no. 305, Tis Hazari Courts, Delhi and can also be viewed/checked on official website www.delhidistrictcourts.nic.in.

Sealed quotations will be opened on 19.02 .2024 at 4.00 p.m. in Room No. 135, First Floor, Tis Hazari Courts, Delhi.


ADMINISTRATIVE CIVIL JUDGE (CENTRAL)
TIS HAZARI COURTS, DELHI

## TERMS \& CONDITIONS IN RESPECT OF SALE OF WASTE/OLD NEWSPAPER, MAGAZINE, RADDI ETC. FROM TIS HAZARI COURT COMPLEX, DELHI.

1. That the contractor shall remove all the waste old/newspapers, magazine, raddi etc. from Tis Hazari Court Complex, Delhi immediately after the call from the office, both by verbal or written.
2. That the contractor shall make his own arrangements for bags, boxes, vehicles and labour etc. that may be required for such removal.
3. That the contractor shall get the weight of the waste material newspapers, magazine, raddi etc. from the Government authorized DHARAMKANTA in presence of the official of Care Taking Branch, Tis Hazari Court Complex and deposit the full amount as per the rate in the Care Taking Branch, Room No.305, Tis Hazari Court Complex, Delhi. The expenditure about the weighing will be borne by the contractor. The Care Taking Branch shall deposit the amount received from the contractor in lieu of sale of waste/old newspaper, raddi etc. in the Cash Branch (Central), Tis Hazari Courts, Delhi.
4. That the contractor will give an undertaking that he will use the waste paper for recycling purpose only.
5. That on default to pay the amount, the contractor shall pay penalty of Rs. 500/(Rupees Five hundred only) per day, in cash.
6. That in the absence of the lifting/removal of the waste/old newspapers, magazine, raddi etc. from Tis Hazari Court Complex by the contractor, the labour charge i.e. Rs. 1000/- for that day will be charged by the Care Taking Branch, Tis Hazari Court Complex from the contractor and concerned office shall have the right to clear the waste/old newspapers, magazine, raddi etc. at the risk/cost of the contractor.
7. That all bags, boxes, trolleys, vehicles, labour etc. required to remove the waste newspapers, magazine, raddi etc. from Tis Hazari Court Complex shall be engaged by the contractor at his own cost \& expenses and he will not be allowed to do shorting of waste in the premises of Tis Hazari Court Complexes, Delhi.
8. That the waste/old newspapers, magazine, raddi etc. from Tis Hazari Court Complex shall be taken by the contractor on "as is where is basis".
9. That the contract is a rate contract and no guarantee can be given as to the quantity of waste papers, which will be available during the period of contract.

10.That the security amount, deposited i.e. Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only) by the contractor to the Care Taking Branch (Central). Tis Hazari Courts, Delhi for the due and faithful performance of all the obligations under the present contract.
10. That the Security deposited by the Contractor will be interest free.
11. That in the event of the contractor committing a breach of any terms or conditions of the contract, the office shall in addition to the other rights and powers, is empowered to cancel/terminate the contract forthwith by giving 15 days notice in writing to contractor and forfeit the sum of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only) deposited as Security and shall in addition recover the loss occasioned by such breach. The security deposit will be returned to the contractor after completion of the contract as per rules and after settlement of all dues and outstanding amount, if any, against him.
13.That notwithstanding anything aforementioned, it shall be lawful for the office to terminnate this contract at any time by giving one calendar month notice in writing (without assigning any reason) to contractor, while the contractor shall be entitled to terminate this contract by giving two calender months' notice in writing to the office but not before expiry of four months period from issuance of contract.
12. That the contractor shall make the payment/penalty which will be imposed by the office for all damages which may be caused to any property of the office by any act/default of the contractor, his agents or servants.
13. That the contractor shall strictly abide by the security instructions/ requirement (both written and verbal) communicated to him officially by this office during the term of the Contract. The contractor will have to submit the identity proof/photograph of the agents/labourers appointed to take and remove the waste/waste paper/material. The cost of verification of antecedents of Contractor and its agents or labours shall be borne by the contractor himself and the same will be got verified by the Police concerned.
14. That the contractor shall not, without the previous consent of this office assign or subject or let out any part of work of this contract or any part thereof or any right to payment there under, or associate or entrust any other person or persons with him for the purpose of performance thereof.
15. That all disputes, differences and questions arising out of or in any way touching or concerning this agreement or subject matter thereof or the representative rights, duties or liability of the parties shall be referred to the sole arbitration of the Ld.

Principal District \& Sessions Judge (HQs.), Delhi or any other person nominated by him. The Arbitration shall be in accordance with the Arbitration Conciliation Act 1996. The arbitrator shall be entitled to enlarge the time of arbitration with consent of the parties. No part of the agreement shall be suspended on the ground of pending arbitration proceedings.
18. This contract is awarded for Two years starting from the day of execution of agreement and same may be extended after period of two years on the basis of performance of contractor subject to the approval of the Competent Authority/HOD.


## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

## सार्वजनिक सूचना

तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली से बेकार कागज, पुराने अख़ार, मैगज़ीन, रददी आदि की खरीद के लिए इच्छुक पार्टियों/ठेकेदारों से अपनी दरें प्रस्तावित करने के लिए सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

उपयुक्त उल्लिखित बेकार कागज, अख़बार, मैगज़ीन, रददी इत्यादि की खरीद के लिए प्रति किलोग्राम के मूल्य का हवाला देते हुए निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में दिनांक 17-02-2024 को अपराहन 03.00 बजे तक देखरेख शाखा कमरा संख्या 305 , तृतीय तल, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली में रखे सील बॉक्स में डाली जानी चाहिए।

आवेदकों को अपनी निविदा के साथ "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली" के नाम पर देय रुपए $5000 /$ - (रूपए पॉच हजार केवल) का डिमांड ड्रफ्ट/पे-आडर (लौटाये जाने योग्य) संलग्न करना होगा तथा इसके अभाव में किसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। असफल आवेदकों को डिमांड ड्रफ्ट/पे-आईर तुरंत लौटा दिया जाएगा तथा सफल आवेदकों को प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद यह लौटा दिया जाएगा।

इस संबंध में नियम व शर्तें तथा अन्य जानकारियाँ देखरेख अनुभाग, कमरा संख्या 305. तृतीय तल. तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली से प्राप्त की जा सकती हैं तथा इन्हें कार्यालय वेबसाइट www.delhidistrictcourts.nic.in पर देखा/जाँचा जा सकता है।

सीलबंद निविदाएँ दिनांक 19.02.2024 तारीख को अपराहन 4.00 बजे कमरा संख्या 135 , प्रथम तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में खोली जाएंगी।


प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (केंद्रीय) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

## तीस हजारी न्यायालय परिसर दिल्ली द्वारा रही/पुराने अखवार. मेगजीन, रही इत्यादि की बिक्री के संबंध में नियम एवं शर्तें

1. कि ठेकेदार (कॉन्ट्रेक्टर) कार्यालय से मौखिक या लिखित रूप से सूचना मिलने/कॉल आने के तुरंत बाद तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली से सभी बेकार पुराने/समाचार पत्र, मैगज़ीन, रड्डी इत्यादि को हटा लेगा।
2. यह कि ठेकेदार इन्हें हटाने के लिए आवश्यक बैग, बक्से, वाहन और श्रमिक आदि की व्यवस्था स्वय करेगा।
3. यह कि ठेकेदार को देखरेख शाखा (केयर टेकिंग ब्रांच), तीस हजारी न्यायालय परिसर के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत धर्मकांटा से अपशिष्ट सामग्री समाचार पत्र, मैगज़ीन, रद्दी आदि का वजन करवाना होगा और दर के अनुसार देखरेख शाखा (केयर टेकिंग ब्रांच), तीस हजारी न्यायालय परिसर दिल्ली में पूरी राशि जमा करनी होगी। तुलवाने का व्यय ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। देखरेख शाखा रद्दी/पुराने अखबार, रद्दी आदि की बिक्री के बदले ठेकेदार से प्राप्त धनराशि को रोकड़ अनुभाग (कैंश ब्रांच) (केन्द्रीय), तीस हजारी न्यायालय दिल्ली में जमा करेगी।
4. यह कि ठेकेदार यह अंडरटेकिंग/वचनपत्र देगा कि वह रद्दी कागज का उपयोग केवल रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) के उद्देश्य के लिए करेगा।
5. यह कि राशि का भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार को प्रतिदिन के हिसाब से रु. 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) नकद का जुर्माना देना होगा।
6. यह कि ठेकेदार द्वारा तीस हजारी न्यायालय परिसर से रद्द्व/पुराने अखबार, मैगजीन, रद्दी आदि को उठान/हटाने के अभाव में देखरेख शाखा, तीस हजारी न्यायालय परिसर दिल्ली द्वारा उस दिन के लिए ठेकेदार से श्रमिक शुल्क/लेबर चार्ज जो है रुपये $1000 /$ लिया जाएगा तथा संबंधित कार्यालय को ठेकेदार के जोखिम/लागत पर अपशिष्ट/पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि को हटाने का अधिकार होगा।
7. यह कि तीस हजारी न्यायालय परिसर से बेकार अखबार, मैगजीन, रद्दी आदि को हटाने के लिए आवश्यक सभी बैग, बक्से, ट्रॉली, वाहन, श्रमिक आदि ठेकेदार द्वारा अपनी लागत और व्यय पर लगाए जाएंगे और उसे तीस हजारी न्यायालय के परिसर, दिल्ली में रद्दी/कचरे की शॉर्टिंग/छंटाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. यह कि ठेकेदार द्वारा तीस हजारी न्यायालय परिसर से रद्द्य/पुराने अखबार, पत्रिका, रद्दी आदि "जहां है जैसा है" के आधार पर लिया जाएगा।
9. कि यह अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) एक दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रेक्ट) है और अनुबंध की अवधि के दौरान उपलब्ध बेकार कागजों की मात्रा के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है।
10. यह कि ठेकेदार द्वारा वर्तमान अनुबंध के तहत सभी दायित्वों के उचित और विश्वसनीय निष्पादन के लिए रूपए 10,000 /- (केवल दस हजार रुपये) की सुरक्षा राशि देखरेख शाखा (केन्द्रीय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में जमा की जाएगी।
11. यह कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी) ब्याज मुक्त होगी।
12. यह कि ठेकेदार द्वारा अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) के किन्हीं नियमों या शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में कार्यालय को, अन्य अधिकारों और शक्तियों के अलावा, ठेकेदार को 15 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को तुरंत रद्द/समाप्त करने का अधिकार होगा और सुरक्षा राशि के रूप में जमा किए गए रूपए 10,000 /- (दस हजार रुपये मात्र) को जब्त किया जाएगा तथा इसके अलावा इस तरह के उल्लंघन से हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। अनुबंध पूरा हो जाने के बाद जमा की गई सुरक्षा राशि नियमानुसार और उसपर देय व बकाया राशि, यदि कोई है तो, आदि का निपटारा करने के बाद ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।
13. यह कि उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद, कार्यालय के लिए यह वैध होगा कि कार्यालय ठेकेदार को एक कैलेंडर माह की लिखित सूचना (बिना कोई कारण बताए) देकर किसी भी समय इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, जबकि ठेकेदार कार्यालय को लिखित रूप में दो कैलेंडर महीने का नोटिस देकर


इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, परन्तु अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) जारी होने से चार महीने की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं।
14. यह कि ठेकेदार या उसके एजेंटों या नौकरों के किसी भी कार्य/चूक के परिणामस्वरूप कार्यालय की किसी भी संपत्ति को होने वाले सभी नुकसानों के लिए ठेकेदार कार्यालय द्वारा लगाए गए भुगतान/जुर्माने की भरपाई करेग।।
15. यह कि ठेकेदार अनुबंध की अवधि के दौरान इस कार्यालय द्वारा आधिकारिक तौर पर उसे सूचित किए गए सुरक्षा निर्देशों/अपेक्षाओं (लिखित और मौखिक दोनों) का सख्ती से पालन करेगा। ठेकेदार को रद्दी/अपशिष्ट कागज/सामग्री लेने और हटाने के लिए नियुक्त एजेंटो/मजदूरों का पहचान प्रमाण/फोटो जमा करना होगा। ठेकेदार और उसके एजेंटों या मजदूरों के पूर्ववृत्त (एंटिसीडेंट्स) के सत्यापन (वेरिफिकेशन) की लागत ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जाएगी और संबंधित पुलिस द्वारा उसका सत्यापन कराया जाएगा।
16. यह कि ठेकेदार, इस कार्यालय की पूर्व सहमति के बिना, इस अनुबंध के कार्य के किसी भाग या उसके किसी भी हिस्से या उसके तहत भुगतान के किसी भी अधिकार को किसी को नहीं सौंपेगा, न ही अधीन करेगा और न ही भाड़े पर देगा, या उसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने साथ संबद्ध करेगा या न्यास को तौर पर सौंपेगा।
17. यह कि इस समझौते या इसकी विषय वस्तु या पार्टियों के प्रतिनिधि अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्व से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों, मतभेदों और प्रश्नों को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली या उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति के एकमात्र विवाचन (आरबिटरेशन) के लिए भेजा जाएगा। यह विवाचन (आरबिटरेशन) "आरबिटरेशन कन्सिलिएशन एक्ट 1996" के अनुसार होगी। विवाचक (आरबिटरेटर) पक्षकारों की सहमति से आरबिटरेशन के समय को बढ़ाने का हकदार होगा। लंबित विवाचन कार्यवाही (पेंडिंग आरबिटरेशन प्रोसिडिंग) के आधार पर समझौते का कोई भी हिस्सा निलंबित नहीं किया जाएगा।

18. 'यह अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) समझौते (एग्रिमैंट) के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) के दिन से शुरू होकर दो साल के लिए दिया जाता है और इसे ठेकेदार के प्रदर्शन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन दो साल की अवधि के बाद बढ़ाया जा सकता है।

